भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3395
16.12.2024 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

3395. सुश्री इकरा चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपशिष्ट से संचालित ऊर्जा संयंत्र कितने हैं तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार नियमित रूप से इन संयंत्रों के प्रदूषण स्तर पर नज़र रखती है और क्या कोई संयंत्र वर्तमान में अनुमत स्तर से अधिक प्रदूषण उत्सर्जित कर रहा है और यदि हां, तो इसका संयंत्रवार ब्यौरा क्या है।

(ग) सरकार द्वारा उक्त संयंत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा संयंत्रवार कितना आर्थिक जुर्माना और अन्य दंड प्रभारित किया गया है;

(घ) क्या राख और अन्य अपशिष्टों को डंप करने के क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश विद्यमान हैं और क्या सरकार मानव बस्तियों वाले क्षेत्रों के पास ऐसे क्षेत्रों को प्रतिबंधित करती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2020 के बाद इन संयंत्रों के प्रदूषण स्तर या पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नए संयंत्र प्रदूषण मानकों के संबंध में आवासीय क्षेत्रों से दूरी और अपशिष्टों का निपटान जैसे सभी मानदंडों को पूरा करें; और

(छ) क्या श्रमिकों और निवासियों को उक्त संयंत्रों से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में जागरूक किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे नुकसान को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): 36 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अपशिष्ट-से-

ऊर्जा पैदा करने वाले 13 संयंत्र चालू हैं (आंध्र प्रदेश-2, दिल्ली-2, गोवा-1, हरियाणा-1, मध्य प्रदेश-1, महाराष्ट्र -1, तेलंगाना-1, उत्तर प्रदेश-3, पश्चिम बंगाल 1)

(ख) और (ग): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों में निर्धारित पर्यावरण मानकों की निगरानी करने और अपशिष्ट से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्रों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थलों के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 11 में दी गयी निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का आदेश दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी यथा-आवश्यकता अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों की निगरानी की है। दिल्ली में डब्ल्यूटीई संयंत्रों के पर्यावरण अनुपालन की जांच करने के लिए, सीपीसीबी ने संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ मिलकर तीन अपशिष्ट-से-ऊर्जा (डब्ल्यूआईई) उत्पादन करने वाले संयंत्रों यथा मेसर्स तिमारपुर ओखला अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड, मेसर्स ईस्ट दिल्ली अपशिष्ट प्रसंस्करण कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण किया। मैसर्स तिमारपुर ओखला अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा किये गए उल्लंघनों के कारण, डीपीसीसी द्वारा 21-22 सितंबर, 2020 की गई संयुक्त/निगरानी के अनुसार निर्धारित मानक को पूरा नहीं करने के कारण प्रस्तावक पर 5 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया गया था।

(घ) से (छ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अनुसूची II, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार के मानकों को निर्धारित करती है, जिसमें ठोस अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं में भस्मक/तापीय प्रौद्योगिकियों से उत्सर्जन के मानक दिये गये हैं। मानकों में वायु उत्सर्जन मानक भी शामिल हैं। यह अनिवार्य बनाया गया है कि यदि भस्मीकरण राख में जहरीली धातुओं की सांद्रता समय-समय पर संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, तो राख को खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में भेज दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार, स्थानीय निकाय या सुविधा का संचालक या उनके द्वारा नामित एजेंसी, जो पांच टन प्रति दिन से अधिक प्रसंस्करण क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है, उसे प्राधिकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को फॉर्म-1 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों सहित सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को उनके संचालन के संबंध में संबंधित स्थानीय निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के लिए सीपीसीबी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों के संचालन की स्थिति, उनके बिजली उत्पादन के साथ-साथ संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी की टिप्पणियों का विवरण प्रदान करना अनिवार्य किया गया है।

*****